न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–473/17 ((RCMS No.2017/00503) 18 आयुध अधिनियम 1959)

हाकिम सिंह पुत्र कारे सिंह जाति जाट निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली

.........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली
2. कलक्टर करौली

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.03.2015

उपस्थितिः–

1. श्री देवी सिंह वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 30.08.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का नाम क्रम सं0 18 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट को 12 वोर बन्दूक का लाईसेन्स संख्या 655/एसडब्लूएम/78 रैस्पो0 द्वारा जारी किया गया था। अपीलान्ट वर्ष 2015 में हुऐ पंचायत चुनाव के दौरान अपीलान्ट राजस्थान में मौजूद ही नही था। बल्कि वह अपने गॉव जोगपुरा (राया) तहसील व जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में था। उसे करौली जिला में होने वाले पंचायत चुनावों की जानकारी नही थी। अपीलान्ट चुनाव 2015 के दौरान राजस्थान में प्रकाशित होने वाले अखबार राजस्थान पत्रिका व राष्ट्रदूत का वितरण उसे गॉव में नही होता है। जिसकी वजह से रैस्पो0 द्वारा प्रकाशित शस्त्र जमा कराने की सूचना प्राप्त नही हो सकी। जिससे बन्दूक उस समय जमा नही हो पायी। अपीलान्ट ने बाद में बन्दूक कोतवाली थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली में जमा करा दी है, जो आज तक जमा है। अपीलान्ट ग्राम जोगपुरा तहसील व जिला मथुरा का निवासी है, वहॉ पर उसकी खेती की जमीन है तथा मकान है। अपीलान्ट चुनाव के समय गॉव में रह रहा था। चुनाव के दौरान राजस्थान में नही आया था। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 29.12.2014 में यह स्पष्ट रूप से अंकन था कि '' जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नही है। उन्हें अपने शस्त्र जमा कराने की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट लम्बे समय से राजस्थान से बाहर मथुरा जिले में रह रहा था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित नही किया जाना चाहिये था। उनका तर्क है कि अपीलान्ट के अलावा अन्य जिन लोगों के आर्म्स लाइसेन्स निलम्बित किये थे उन्हें रैस्पो0 द्वारा बहाल किया जा चुका है। जिला कलक्टर करौली ने पुलिस अधीक्षक से लाईसेन्स को बहाल कराने की राय मांगी थी। उन्होंने बहाल करने की अनुशंसा की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/पंआचु. 15/9356 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र थाने में जमा नही कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बाबजूद हथियार जमा नही कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नही कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356—9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 18 पर दर्ज है।

अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध दिनांक 04.10.2017 को अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में प्रकरण में लिबरल ब्यू लेते हुऐ अपील पेश करने में हुऐ देरी को कण्डोन करते हुऐ अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली के पत्रांक 9356 दिनांक 29.12.2014 में यह आदेश निम्न पर लागू नही होगा : के बिन्दु सं0 2 में यह उल्लेख है कि '' जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नही है। उन पर यह आदेश लागू नही होगा। '' अपीलान्ट ने चुनाव 2015 के दौरान गॉव जोगपुरा तहसील व जिला मथुरा में रहना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 1650 दिनांक 13.03.2015 अपीलान्ट के क्रमांक 18 कोतवाली हिण्डौन शस्त्र अनुज्ञापत्र 12 बोर बन्दूक की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official